

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


: कार्यालय आदेश :

शासन के पत्रांक प 7(1) शिक्षा-2/ब्रजश्रीमण-व अ/2017 जयपुर दिनांक 28.12.17 के क्रम में निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों का अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर 08/01/18 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण कर लेंगे।

क्र. सं.	नाम	पद	विषय	वर्तमान / पदान्तरित पर पदस्थापित स्थान	जिला	संबंधित / स्थानान्तरित स्थान	जिला	वि. वि.
1	नमिता सिंह	वरि अध्या	विज्ञान	राउमावि, कोटडी, छबड़ा बारा	बारा	रा राजस्थान उमावि, बजाज नगर, जयपुर	जयपुर	
2	अजीत सिंह रावत	वरि अध्या	विज्ञान	राआउमावि, लापला तला, प.स बायतु, बाडमेर	बाडमेर	रामावि, रामपुरानाद, पीसागन, अजमेर	अजमेर	

उक्त आदेशों में निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

01. स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर संबंधित विषय का पद स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
02. यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भर्ती से पदस्थापित परीवीक्षाधीन वरिष्ठ अध्यापक का है तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराया जावे।
03. ग्रामीण स्वैच्छया शिक्षा सेवा नियम से पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराया जावे।
04. वरिष्ठ अध्यापक का मंडल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय पूर्व मंडल की वरियता की विलोपन की सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
05. वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय अपनी वीमारी /परिस्थिति जिसके कारण स्थानान्तरण किया जा रहा है से संबंधित प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे।
06. जो कार्मिक निर्वाचन संबंधी कार्य में नियुक्त हो, का स्थानान्तरण प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प 5(1)प्रसु/सन/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 09.10.17 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिकों को 05.01.2018 के पश्चात ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावे।


(नथमल डिंडेल)
आई ए एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 08/12/2017

क्रमांक :- शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्था/बोल-1/17

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित उपनिदेशक माशि जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बाडमेर, बारा, अजमेर, जयपुर
4. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/सरस्था/एफ-1ए/स्था/वोल-1/17

दिनांक :- 28/12/2017

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
अजमेर

विषय :- वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन सशोधन के संबंध में।
प्रसंग :- प.7(1) शिक्षा-2/बजेशमीण-व.अ/2017 जयपुर दिनांक 28.12.17

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत शासन के पत्र के द्वारा प्रेषित संलग्न सूची में अंकित आप के परिक्षेत्र से संबंधित पत्र में अंकित वरिष्ठ अध्यापक के स्थानान्तरण आदेश पत्र में अंकित शर्तों के अध्यक्षीन स्थानान्तरण आदेश जारी कर शासन एवं इस कार्यालय के अनुभाग एफ की ई-मेल आईडी ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

क्र.स	नाम	पद	विषय	वर्तमान / पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान	जिला	सशोधित / स्थानान्तरित स्थान	जिला	वि.वि
1	बृजेश मीणा	वरि. अध्या.	अग्रोजी	राउमावि, धौलपुरिया अजमेर	अजमेर	रावाउप्रावि, हाउसिंग बोर्ड, किशनगढ, अजमेर पर रिक्त पद	अजमेर	
2	शैलजा पुरावत	वरि. अध्या.	सारकृत	रावाउमावि, पुष्कर, पीसागन आदेश पर पदोन्नत	अजमेर	रामावि, लोहागल, श्रीनगर अजमेर रिक्त पद	अजमेर	

स्थानान्तरण हेतु निर्धारित शर्तें :-

प्रस्ताव के परीक्षण के बिन्दू :-

01. स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर संबंधित विषय का पद स्पष्ट रूप से रिक्त नही हाने की स्थिति में स्थानान्तरण/ पदस्थापन नही किया जावे।
02. वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित विषय के रिक्त पद पर ही पदस्थापित किया जावे।
03. यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भर्ती से पदस्थापित परीवीक्षाधीन वरिष्ठ अध्यापक का है तो स्थानान्तरण नही किया जाकर शासन/निदेशालय के ध्यान में लाया जावे।
04. ग्रामीण स्वैच्छया शिक्षा सेवा नियम से पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार की किया जावे।
05. वरिष्ठ अध्यापक का मंडल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय पूर्व मंडल की वरियता की विलोपन की सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण नही कराया जावे।
06. वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय अपनी बीमारी /परिस्थिति जिसके कारण स्थानान्तरण किया जा रहा है से संबंधित प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे।
07. जो कार्मिक निर्याचन संबंधी कार्य में नियुक्त हो, का स्थानान्तरण प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प.5(1)प्रसु/रान/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 09.10.17 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिकों को 05.01.2018 के पश्चात ही कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण करावे।



(नथमल डिडेल)

आई.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर